न्यायालय अति0 संभागीय आयुक्त , अजमेर

(निर्णय बईजलास गजेन्द्र सिंह राठौड़ , आर.ए.एस., अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, अजमेर)

अपील एल0आर0ए0 संख्या 35/2020 जिला भीलवाड़ा

1. श्री पुखराज पुत्र उगमा जाति जाट उम्र बालिग निवासी बोरखेड़ा तहसील हुरड़ा जिला भीलवाड़ा(राज0)
2. श्री बनराज उगमा जाति जाट उम्र बालिग निवासी बोरखेड़ा तहसील हुरड़ा जिला भीलवाड़ा(राज0)
3. श्री हरफुल उगमा जाति जाट उम्र बालिग निवासी बोरखेड़ा तहसील हुरड़ा जिला भीलवाड़ा(राज0)
4. श्री हगामी पत्नि उगमा जाति जाट उम्र बालिग निवासी बोरखेड़ा तहसील हुरड़ा जिला भीलवाड़ा(राज0)

—अपीलांटस

बनाम्

1. जिला कलेक्टर कार्यालय भीलवाड़ा(राज0)
2. तहसीलदार हुरड़ा तहसील हुरड़ा जिला भीलवाड़ा(राज0)

—रेस्पोडेंटस

अपील विरूद्ध निर्णय/आदेश जिला भीलवाड़ा निर्णय/आदेश प्रकरण संख्या 669/91 दिनांक 04.11.1992 प्रथम अपील अन्तर्गत धारा 75 एल0आर0एक्ट सपठित राजस्थान उपनिवेशन मध्यम एवं लघु सिंचाई प्रोजेक्ट गर्वमेंट अलॉटमेंट रूल्स 1968

उपस्थित अभिभाषकः—श्री रतनलाल वैष्णव (अपीलांट अभि0)

राजकीय अभिभाषकः—उपस्थित

निर्णय दिनांकः—06.01.2023

संक्षिप्त में अपील के तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम बोरखेड़ा तहसील हुरड़ा जिला भीलवाड़ा के आराजी खसरा नम्बर 1124/1591 रकबा 4 बीघा 18 बिस्वा भूमि का आवंटन दिनांक 03.11.1977 को अलॉटमेंट कमिटी के द्वारा किया गया। जिस पर कब्जाकाश्त आवंटन/जमीन सुपुर्दगी समय से ही उसके पिता उगमा एवं उसकी मृत्यु के बाद अपीलार्थीगण/प्रार्थीगण का आज भी चला आ रहा है। अपीलार्थीगण के पिता उगमालाल की मृत्यु दिनांक 28.02.1992 को हो गई। इसके पश्चात विरासती नामातंरण संख्या 753 से भूमि अपीलार्थीगण के नाम दर्ज हुई। उस समय अपीलार्थीगण नाबालिग थे।

अधीनस्थ न्यायालय रेस्पोडेंट संख्या 1 के द्वारा अपने अपीलाधीन आदेश दिनांक 04.11.1992 से पिता के नाम हुये उक्त आवंटन को राजस्थान उपनिवेशन अधिनियम 1956 की धारा 14 तथ राजस्थान उपनिवेशन जनरल कॉलोनी कंडीशनस 1955 की संख्या 22/23 के प्रावधानों के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आरक्षित मूल्य जमा नही होने से भूमि पुर्नग्रहण करने के आदेश तहसीलदार हुरड़ा रेस्पोडेंट संख्या 2 को देते हुए भूमि से बेदखली का आदेश प्रसारित किया। जिसकी अनुपालना [illegible] तहसीलदार द्वारा नामातंरण संख्या 787 दिनांक 20.02.1993 से प्रार्थीगण को भूमि से बेदखल [illegible] बिना ही भूमि बिलानाम बेदखल कर दी है। दिनांक 08.01.1998 को [illegible] रेस्पोडेंट नम्बर 2 को यहां जमा करवा दी है। इस हेतु एक प्रार्थना पत्र दिनांक 27.[illegible]1998 को जिला कलेक्टर को प्रस्तुत किया था। जिला कलक्टर भीलवाड़ा द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र दिनांक 15.12.1998 को

Signature Not Verified
Digitally signed by Gajendra Singh Rathore
Date: 2023.03.08 10:18:36 IST
Reason: SelfAttested

तहसीलदार को भेजा। तहसीलदार द्वारा दिनांक 23.12.1998 को अपनी अनुशंषा के साथ रिपोर्ट जिला कलक्टर को भिजवाई। इस रिपोर्ट में उनके द्वारा विवादित भूमि को रिस्टोर करने हेतु कोई आपत्ति नहीं है। यह अंकित किया था कि भूमि किसी अन्य को आवंटित नहीं हुई है। यह भी अंकित किया था।

मृतक उगमा के वारिसान को कायम मुकाम बनाये बिना रेस्पोडेंट संख्या 1 व 2 के द्वारा उक्त कार्यवाही की गई है। पुर्नग्रहण के आदेश के बाद भूमि नजराना राशि जमा कराने के बाद भूमि पुनः अधिस्टोर नहीं की गई है। अपीलांट द्वारा अपील के निम्न आधार बताये गये है–

1. अपीलाधीन निर्णय से पूर्व उगमा की मृत्यु हो चुकी थी। उसके वारिस को कायम मुकाम नहीं बनाया गया था।
2. अधीनस्थ न्यायालय ने अपनी सुनवाई के दौरान अपीलांट हेतु सूचना पत्र गलत जारी किया था। प्रोपर तामील नहीं हुई थी। उगमा बोरखेड़ा का निवासी था। ना कि गढवालों का खेड़ा का।
3. उगमा को सही तामील नहीं करवायी गई है। अपीलाधीन आदेश में उगमा का पता गलत लिखा हुआ है।
4. मृतक आदमी के नाम से की गई कार्यवाही कानून की दृष्टि में अवैधानिक है। वर्तमान मे भी अपीलांटगण का कब्जाकाश्त है। अंत में अपीलाधीन निर्णय दिनांक 04.11.1992 के आदेश को निरस्त करते हुए विवादित भूमि को रिस्टोर करने हेतु निवेदन किया।
5. अपीलांट द्वारा अपील के साथ एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5, 12, 14 मियाद अवधि अधिनियम स्थगन प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया है।

अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अवधि अनुसार अपीलाधीन आदेश के बाद भूमि रिस्टोर के आदेश प्रसारित नहीं किये इस आदेश की जानकारी पटवारी हल्का के पास सीमाज्ञान करवाने के लिए खाते की नकल प्राप्त करने के समय दिनांक 08.09.2015 को प्राप्त की गई। देरी को क्षमा किया जाये। स्थगन प्रार्थना पत्र में अपीलांट द्वारा बताया गया कि विवादित भूमि बिलानाम अंकित होने से ग्राम के कुछ लोग गुपचुप तरीके से इसे आवंटित कराने हेतु इसे आमादा हो रखें है। अन्यथा प्रार्थीगण को इसे अपूरणीय क्षति होगी। अपील के निस्तारण तक उक्त भूमि किसी को आवंटित नहीं की जायें। मौके व रिकोर्ड की यथास्थिति बनायी रखी जायें।

अपील के क्षेत्राधिकार में होने से तत्समय आरएए न्यायालय भीलवाड़ा में दिनांक 28.10.2015 को दर्ज रजिस्टर की गई। राजस्व ग्रुप–6 विभाग की अधिसूचना दिनांक 17.10.2019 के अनुसरण में उक्त पत्रावली न्यायालय हाजा को क्षेत्राधिकार मे होने से प्राप्त हुई। बहस उभयपक्ष सुनी गई। वकील अपीलांट ने बताया कि उगमा को आवंटन बोरखेड़ा गांव में हुआ था। भूमि कमाण्ड क्षेत्र की है। जिला कलक्टर द्वारा राशि जमा कराने का आदेश दिया गया था। मगर इससे पूर्व (छः माह)उगमा की मृत्यु हो गई। जिला कलक्टर द्वारा राशि जमा कराने का आदेश दिया गया था। अपीलाधीन आदेश से पूर्व उगमा की मृत्यु हो गई थी। उस समय वारिस नाबालिग थे। दिनांक 08.01.1998 को राशि जमा करवा दी गई। बहस में राजकीय अभिभाषक ने बताया कि उगमा को सूचना दी गई थी। राशि जमा बाबत को रसीद नहीं है। जिला कलक्टर का आदेश दिनांक 07.03.1991 का है। पटवारी द्वारा बार–बार राशि जमा करवाने हेतु तकाजा किया गया था। राजकीय [illegible] के अनुसार अपील समय सीमा से बाधित है। देरी का कोई कारण नहीं बताया। वारिसान [illegible] अपनी उम्र बतायी नहीं है। दिन प्रतिदिन देरी का कारण बताना पड़ेगा। [illegible] पेश नहीं किया। अपील खारिज की जाये।

Signature Not Verified
Digitally signed by Gajendra Singh Rathore
Date: 2023.08.08 10:18:36 IST
Reason: SelfAttested

सर्वप्रथम अपीलांट द्वारा प्रस्तुत धारा 5,12 का अवलोकन किया गया। अपीलांटगण ने यह बताया कि उन्हे दिनांक 08.09.2015 को अपीलाधीन आदेश की जानकारी हुई है और उनके द्वारा अपील दिनांक 28.10.2015 को दर्ज करवाया जाना पाया गया है। अतः जानकारी दिनांक से अपील को अंदर मियाद माना जाता है।

पत्रावली पर उपलब्ध समस्त साक्ष्य दस्तावेजो का अवलोकन किया गया। बहस बिन्दुओ पर मनन किया गया। अपीलांटस द्वारा उठाये गये तामील के आक्षेप से संबंधित बिन्दु का विवेचन किया गया। तहसीलदार हुरड़ा द्वारा दिनांक 25.02.1991 को भूमि नजराना राशि जमा नहीं कराने की वजह से पुर्नग्रहण बाबत प्रस्ताव जिला कलक्टर भीलवाड़ा को प्रेषित किया गया था। उक्त प्रस्ताव में विवादित भूमि गढवालों की खेड़ा की बतायी गई। जिसका रकबा 4 बीघा 17 बिस्वा है तथा उक्त भूमि का आरक्षित मूल्य 2752 रूपये होकर आवंटी को मांगपत्र दिया जाना जो उसे प्राप्त होकर निश्चित अवधि निकल जाना बताया गया है। इसके बाद भी तहसीलदार द्वारा पन्द्रह दिन का नोटिस उसे जारी किया जाना तथा वह अवधि भी निकल चुकी है परन्तु फिर भी आवंटी के द्वारा राशि जमा नहीं करवायी गई है। यह बताया गया है। अन्तिम पैरा में यह बताया गया है कि नजराना राशि जमा नही करवाने पर उसके विरूद्ध गत वर्षो से वसूली के प्रयास जारी है। परंतु आवंटी आदिनांक तक राशि जमा कराने में विफल रहा है। भूमि के पुर्नग्रहण हेतु प्रस्ताव भिजवाया जाना बताया गया है।

तहसीलदार द्वारा प्रेषित पुर्नग्रहण प्रस्ताव प्राप्त होने पर जिला कलक्टर भीलवाड़ा द्वारा प्रकरण संख्या 665/91 से दिनांक 07.03.1991 को दर्ज किया गया तथा तीस दिन का नोटिस राजस्थान जनरल कॉलोनी कन्डीसंस 1955 की शर्त संख्या 22,23 के अन्तर्गत आंवटी को जारी किया गया था। उक्त नोटिस के नीचे के ओर यह अंकित है। प्रार्थी नहीं होने से भाई के पुत्र को तामील करवाया। जिला कलक्टर की प्रोसिडिंग दिनांक 15.05.1992 के अवलोकन से स्पष्ट है कि आवंटी को बकाया राशि जमा कराने हेतु एक अन्य मौका दिया जाने हेतु पुनः नोटिस जारी किया गया। उक्त नोटिस के पुश्त भाग पर यह अंकित किया हुआ है। प्रार्थी नहीं मिलने से चस्पा किया गया है तथा भंवरलाल और रामलाल अंकित किया है तथा बाद तामील रिपोर्ट पेश है यह अंकित किया हुआ है। इसके पश्चात दिनांक 04.11.1992 को जिला कलक्टर भीलवाड़ा द्वारा आदेश जारी किया गया। जिसके अनुसार बावजूद नोटिस तामील होने की दिनांक से तीस दिन से अधिक समय व्यतित होने के उपरांत राशि जमा कराने की सूचना प्रेषित नहीं की है। इस पर आवंटी अप्रार्थी राजस्थान उपनिवेशन जनरल कॉलोनी कंडीसंन्स 1955 का उल्लघंन करने का स्पष्टतः दोषी पाया गया। इस पर विवादित भूमि को राज्य पक्ष में पुर्नग्रहण करने का उनके द्वारा आदेश जारी किया गया।

धारा 60 एलआरएक्ट का अवलोकन किया गया। जिसमें नोटिस की तामील बाबत विवरण दिया गया है। इसके अनुसार नोटिस व्यक्ति के उपर तामील करवाया जा सकता है या डाक विभाग के माध्यम से रजिस्टर्ड नोटिस उसे भेजा जा सकता है। उसके अधिकृत एजेंट को भेजा जा सकता है। फिर भी यदि तामील नहीं होती है तो उसके मकान पर जहां वह रहता है। नोटिस चस्पा कर तामील करवायी जा सकती है। जिला कलक्टर भीलवाड़ा द्वारा प्रेषित दूसरा नोटिस आवंटी के नहीं मिलने पर चस्पा किया गया है। दो से ज्यादा गवाहों के हस्ताक्षर नोटिस के पुश्त भाग पर दिखाई पड़ता है। इसी आधार पर जिला कलक्टर भीलवाड़ा ने अपने आदेश में प्राथम नोटिस दिनांक [illegible] 1991 व द्वितीय दिनांक 21.05.1992 को तामील होना माना है। ऐसी स्थिति में अपीलांटस द्वारा यह आक्षेप उठाया गया कि उगमा को तामील नही हुई थी। यह उचित नहीं है। आश्चर्यजनक बात यह है कि उगमा को भूमि आवंटित होकर गैर खातेदार के रूप में नामांतरण संख्या 201 दिनांक 20.01.78 से दर्ज किया हुआ है। तेरह वर्षों की अवधि के बाद भी उगमा द्वारा नजराना राशि नहीं जमा करवायी गयी है। जिला कलक्टर द्वारा की गई कार्यवाही से पूर्व तहसीलदार के माध्यम से कार्यवाही आरम्भ

Signature Not Verified
Digitally signed by Gajendra Singh Rathore
Date: 2023.08.08 10:18:36 IST
Reason: SelfAttested

की जाकर उसे नोटिस जारी किया गया था। पटवारी द्वारा भी मांग पर्ची आवंटी उगमा को जारी की गई थी। जिसमें मांग राशि 3022 रूपये बतायी गई थी तथा ब्याज अलग होना बताया गया था। उक्त मांग पत्र पर अंगूठा निशानी दर्ज है। मगर उगमा द्वारा राशि जमा करवाया जाना नहीं पाया गया। ऐसी स्थिति में जिला कलक्टर द्वारा उचित निर्णय करना पाया जाता है।

अपीलांटस का यह कहना है कि अपीलाधीन निर्णय दिनांक 04.11.1992 से पूर्व उनके पिता उगमा की मृत्यु हो गई थी। इस बाबत उनके पिता की मृत्यु बाबत कोई मृत्यु प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया। साथ ही दिनांक 27.10.1998 को जिला कलक्टर भीलवाड़ा के समक्ष अपीलांटगण भीलवाड़ा के समक्ष प्रार्थना पत्र में उनके पिता की मृत्यु कब हुई है यह नहीं बताया गया है। इस महत्वपूर्ण दस्तावेज के अभाव में यह नहीं माना जा सकता है कि उगमा की मृत्यु अपीलाधीन निर्णय से पूर्व हुई या बाद में हुई। अतः अपीलांटस का यह आक्षेप दस्तावेजी सबूत के अभाव में मान्य नहीं किया जा सकता है। वर्तमान में अपीलाधीन भूमि सिवायचक है तथा अपील के दौरान अपीलांट द्वारा उनके कब्जे बाबत दस्तावेज यथा धारा 91 एलआरएक्ट का नोटिस उनके द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में उनका विवादित भूमि पर कब्जा है यह नही माना जा सकता है। अतः प्रथम दृष्टया प्रकरण अपीलांट के पक्ष में नहीं बनता है। अपीलांट द्वारा प्रस्तुत स्थगन प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है।

अपीलांटगण का यह आक्षेप है कि वह गढवालो के खेड़ा का निवासी न होकर बोरखड़ा के निवासी है तथा विवादित भूमि भी ग्राम बोरखेड़ा में ही स्थित है। जमाबंदी के अवलोकन से स्पष्ट है कि विवादित भूमि ग्राम बोरखेड़ा में स्थित होकर पटवार मण्डल गढ़वाल का खेड़ा है। जिला कलक्टर भीलवाड़ा द्वारा तहसीलदार हुरड़ा से प्राप्त प्रस्तावों के अनुसरण में ही ग्राम का नाम अंकित है। मगर मांगपर्ची, जमाबंदी,ढालबांच के अवलोकन से स्पष्ट है कि उक्त भूमि ग्राम बोरखेड़ा में स्थिति है। आवंटी को उक्त भूमि ग्राम बोरखेड़ा में ही आवंटित की गई थी। तहसीलदार द्वार प्राप्त नोटिस दिनांक 30.01.1991 में भी आवंटी को बोरखेड़ा का निवासी बताया गया है। ऐसी स्थिति में यह लिपिकीय त्रुटि ही मानी जायेगी। क्योंकि विवादित खसरा नम्बर जो जिला कलक्टर के आदेश में दर्ज किये गये है। वह खसरा नम्बर 1676/1134/1591 रकबा 4 बीघा 17 बिस्वा ही दर्ज किया गया है। जिसे राज्य पक्ष में पुर्नग्रहण करने का आदेश दिया गया है। उक्त खसरा रकबा ग्राम बोरखेड़ा मे ही स्थित है। अपील अपीलांट खारिज योग्य है।

क्रियात्मक आदेश

अपील द्वारा अपीलांटगण को खारिज किया जाता है। अपीलाधीन निर्णय द्वारा जिला कलक्टर भीलवाड़ा के प्रकरण संख्या 669/91 दिनांक 04.11.1992 (राजस्थान उपनिवेशन(मध्यम एवं लघु सिंचाई प्रोजेक्ट गर्वमेंट अलॉटमेंट रूल्स 1954 की धारा 14 एवं राजस्थान उपनिवेशन जनरल कॉलोनी कंडीसन्स 1955 की शर्त संख्या 22/23 ग्राम बोरखेड़ा तहसील हुरड़ा खसरा नम्बर **1676/1134/1591 रकबा 4 बीघा 17 बिस्वा**) को यथावत रखा जाता है।

यह आदेश आज दिनांक 06.01.2023 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Gajendra Singh Rathore
Date: 2023.08.08 10:18:36 IST
Reason: SelfAttested

(गजेन्द्र सिंह राठौड़)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
अजमेर